

को पेश हों।

09/06/22

पत्रावली पेश हुमी। अपीलान्त व वकील  
अपीलान्त अनुपस्थित। का-का आवाज लगावामी  
गामी, आवाज लगावामे के उपरान्त भी अपीलान्त  
की आगे से कोई उपस्थित नही आया। अतः अपीलान्त  
अपीलान्त अदम टाजगी अदम पैरवी में खारिज की  
जाती थी। पत्रावली फौजदारी शुम्भार होकर नम्बर  
ले कर होकर दफ्तर दाखिल है।



(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)